न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र रिव्यु सं0 21/2013

1. रामचन्द
2. श्यामलाल
3. गिन्ना

पिसरान छोटया जाति माली निवासी बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा

...प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखलाल
2. रामफूल

पिसरान बसन्ता जाति माली निवासी बेरखेडा तहसील महवा जिला दौसा

3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र पुनर्विचार एवं मन्सूखी एकतरफा निर्णय दिनांक 15.12.1999

उपस्थित : 1. श्री जितेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की ओर से
2. श्री ऋद्धि चंद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से
3 श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

दिनांक 17.06.2022

निर्णय

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा नामांतरण अपील संख्या 19/1997 पारित निर्णय दिनांक 15.12.1999 के विरूद्ध यह पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। न्यायालय का मूल अभिलेख शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रा0पत्र मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में एक अपील संख्या 47/94 उनवानी बसंता बनाम छोटया वगैरह नामां0 संख्या 293 दिनांक 27.5.1981 ग्राम बेरखेडा तहसील महवा के खिलाफ सन 1994 में अर्सा करीब 13 वर्ष बाद मृतक छोटया रेस्पोडेन्ट के खिलाफ पेश की गई है। उक्त रेस्पो. छोटया का स्वर्गवास सन 1983 में ही हो गया था। जब उक्त अपील पेश की गई थी उस समय छोटया जीवित नहीं था, किन्तु उसे जीवित बतलाकर मृतक व्यक्ति की फर्जी तामील दिखवाकर इन इश्यू वाईड एवं शून्य निर्णय तथ्यों को छिपाकर अपेरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड इल्लीगल पारित करवाया है। साथ ही जो मियाद बाहर अपील थी उसके संबंध में भी धारा 5 पर विचार किये बिना कानून के खिलाफ उक्त निर्णय पारित किया गया है। जबकि धारा 3 कानून मियाद में स्पष्ट प्रावधान है कि मियाद बाहर अपील में पहले मियाद के बिन्दु [illegible] जावेगा। किन्तु ऐसा नहीं करके कानून के खिलाफ उक्त निर्णय दिनांक 15.1[illegible]999 [illegible] पारित करवा लिया। अपील संख्या 47/1994 मृत व्यक्ति छोटया [illegible] थी, जिसका स्वर्गवास सन 1983 में ही हो चुका था। उक्त मृत व्यक्ति की फर्जी तामील दिखाकर व फर्जी [illegible] कराकर उक्त निर्णय दिनांक 15.12.1999 को पारित करवा लिया, जिसका स्पष्ट प्रमाण [illegible] कि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.17 10:16:04 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर...2 पर

भूमि जेर वर्णित नामान्तरण के खिलाफ उक्त बसन्ता ने न्यायालय सहायक कलक्टर महवा के यहाँ दावा संख्या 98/93 बउनवानी बसन्ता बनाम रामचन्द्र का पेश किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 2.2.1996 को सहायक कलक्टर महवा द्वारा किया गया था जिसमें उक्त मृतक छोटया जिसका स्वर्गवास हो चुका था, उसको पक्षकार नहीं बनाया गया था व प्रार्थीगण जो कि छोटया के पुत्र हैं, उनको पक्षकार बनाया गया था जिसमें प्रार्थीगण ने अपने जवाब दावा में यह उज्र भी लिया था कि प्रार्थीगण की मां मु.भौंरी स्त्री स्व. छोटया भी आवश्यक पक्षकार है। इस प्रकार अप्रार्थी सुखलाल, रामफूल व उसके पिता छोटया ने न्यायालय को धोखा देकर मृत व्यक्ति के खिलाफ अपील पेश कर मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित करवाया है। मृत व्यक्ति के खिलाफ दावा व अपील शून्य होती है एवं निर्णय भी शून्य ही होता है। आराजी जेर वर्णित नामांतरण में मृतक छोटया 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार था। भूमि वर्णित नामान्तरण के संबंध में अपीलांट बसन्ता ने सहायक कलक्टर महवा के यहाँ दावा इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा, बेदखली व निरस्त किये जाने नामान्तरण जेर अपील के संबंध में मुकदमा नं0 98/93 उक्त अपील पेश करने से पूर्व ही कर दिया था। जब उक्त दावा पेश किया गया उससे पूर्व ही रेस्पो0 छोटया का निधन 1983 में हो जाने की वजह से उक्त दावे में प्रार्थीगण जो कि मृतक छोटया के पुत्र है, उन्हें पक्षकार बनाया गया। जिसका निर्णय दिनांक 2.2.1996 को प्रार्थीगण के पक्ष में सहायक कलक्टर महवा द्वारा कर दिया गया व बसन्ता का दावा खारिज कर दिया गया। उक्त तथ्य को छिपाते हुए माननीय न्यायालय से यह निर्णय दिनांक 15.12.1999 को पारित करवाया गया है। नामान्तरण एक फिक्सल प्रोसीडिंग होती है, जब नियमित दावे में सक्षम न्यायालय से निर्णय हो गया, उस तथ्य को छिपाते हुए माननीय न्यायालय से अपेरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड शून्य निर्णय पारित करवाया गया है। सहायक कलक्टर महवा के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.2.1996 के विरूद्ध उक्त अपीलांट बसन्ता ने भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के समक्ष उनवानी बसन्ता बनाम रामचन्द्र वगै0 पेश की गई, जिस अपील का निर्णय भी भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा द्वारा दिनांक 27.9.1997 को माननीय न्यायालय के निर्णय से पूर्व ही कर दिया था। नामा0 संख्या 293 दिनांक 27.5.1981 सक्षम न्यायालय उप जिलाधीध हिण्डौन के आदेश व निर्णय से भरा गया था। माननीय न्यायालय के समक्ष उप जिलाधिकारी हिंडौन के आदेश व निर्णय की कोई अपील नहीं की गई। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय में उप जिलाधिकारी हिण्डौन के आदेश व निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं थी तक भी उक्त निणय दिनांक 15.12.1999 कानून के खिलाफ पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। नामा0 सं. 293 दिनांक 27.5.1981 के खिलाफ जो दावा सहायक कलक्टर महवा एवं जो अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के समक्ष पेश की गई जिसमें उक्त नामान्तरण के बारे में पूर्ण सुनवाई करके विधिवत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्यों को छिपाकर निर्णय दिनांक 15.12.1999 पारित करवाया गया है। माननीय न्यायालय में उक्त नामान्तरण अपील संख्या 293 दिनांक 27.5.1981 के खिलाफ लगभग 13 वर्ष बाद मियाद बाहर पेश की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.12.1999 पारित करने से पूर्व मियाद पर कोई विचार नहीं किया जाकर कानूनी त्रुटि की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.1999 में अपील संख्या 19/97 अंकित की है जबकि पत्रावली पर अपील संख्या 47/94 अंकित है। इस प्रकार निणय में भी अपील संख्या 19/97 अपेरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड गलत अंकित की गई है। प्रार्थीगण मृतक रेस्पो0 छोटया

निरंतर...3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.17 10:16:04 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के पुत्र एवं वारिस हैं जो कि पूर्व में भी भूमि जेर वर्णित नामान्तरण के संबंध में जो प्रकरण
सहायक कलक्टर महवा एवं भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर
कैंप दौसा के यहॉं चले हैं उसमें भी पक्षकार थे। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के उक्त
निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। प्रार्थीगण को उक्त अपील में सुना जाना आवश्यक था।
अपीलांट बसन्ता का भी देहान्त वर्ष 2001 में हो गया है एवं अप्रार्थीगण उनके पुत्र हैं जिन्हें
इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पुनर्विचार स्वीकार फरमाया
जाकर निर्णय दिनांक 15.12.1999 को निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा
प्रार्थना पत्र पुनर्विचार के समर्थन में 1.डीएनजे(राज.)2013(3)987 2. एआईआर/1975
गुजरात/32 व 3. एआईआर/1971 पंजाब व हरियाणा 477 पेश की गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की बहस में दलील है कि पुनर्विचार प्रार्थना पत्र
प्रस्तुतकर्तागण श्रीमानजी के न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 47/1994 में पक्षकार नहीं
थे तथा पक्षकार नहीं होने की वजह से उन्हें पुर्नविचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई
अधिकार नहीं है। पुनर्विचार प्रार्थना पत्र या अपील कानूनन वही पक्षकार प्रस्तुत कर सकता
है, जो कि निर्णय में पक्षकार हो। चूंकि पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्तागण पूर्व में अपील में
पक्षकार नहीं थे, इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के
कारण खारिज योग्य है। पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निश्चित है तथा
अपील पेश करने का जो समय निश्चित है उतना ही समय पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
करने का नियत है। पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्तागण द्वारा न्यायालय के निर्णय दिनांक
15.12.1999 के विरूद्ध पुनर्विचार प्रार्थना पत्र 14 वर्ष पश्चात सन 2013 में प्रस्तुत किया गया
है जबकि उक्त पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित अवधि मात्र 60 दिवस
है। इसलिए यह पुनर्विचार प्रार्थना पत्र कालबाधित होने के कारण भी निरस्त योग्य है।
पुनर्विचार प्रार्थना पत्र में तथ्यों की या कानूनी बिन्दु की कोई त्रुटि अपील में आक्षेप लिये
जाने के पश्चात भी रह जाती है तो उसी आधार पर पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा
सकता है। न्यायालय के समक्ष पूर्व में कोई आक्षेप इस संबंध में नहीं लिये गये जिस वजह
से अब पुनर्विचार प्रार्थना पत्र में 14 वर्ष पश्चात उक्त नये तथ्य व आक्षेप नहीं उठाये जा
सकते है। श्रीमान जी के न्यायालय द्वारा अपील को बीत मंजूर किया जाकर नामान्तरण जेर
अपील को निरस्त किया गया है तथा उसके पश्चात 14 वर्ष बीत जाने के उपरांत एवं
विवादित भूमि रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज हो गई। तत्पश्चात 14 वर्ष तक पुनर्विचार प्रार्थना पत्र
प्रस्तुतकर्तागण के नाम से भूमि हट जाने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई अपील अपीलीय
न्यायालय में नही की गई एवं 14 वर्षो से श्रीमान के निर्णय को स्वीकार व अंगीकार करते
चले आ रहे है। इस प्रकार रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्तागण को जानकारी होते हुए
न्यायालय श्रीमान के निर्णय को 14 वर्ष तक स्वीकार करने के बाद अब 14 वर्ष की लंबी
अवधि के बाद पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय श्रीमान द्वारा
नामान्तरण संख्या 293 दिनांक 27.5.1981 को निरस्त कर अपील में निर्णय पारित किया गया
है जिससे यह सिद्ध है कि न्यायालय श्रीमान ... अपील में हुई देरी को क्षमा कर अपील
विधिवत सुनवाई कर अपील ... गया है। पुनर्विचार प्रार्थना पत्र
प्रस्तुतकर्तागण को माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.1999 की जानकारी शुरू से
ही रही है, दिनांक 19.2.2013 को ... द्वारा जानकारी दिये जाने का प्रश्न ही
पैदा नहीं होता। यदि इस प्रकार की जानकारी उन्हें दी गई होती तो जानकारी देने वाले
व्यक्ति का शपथ पत्र पुनर्विचार प्रार्थना पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक है, इसलिए भी
पुनर्विचार प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। एकतरफा मन्सूखी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.17 10:16:04 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर...4 पर

13 जा0 दीवानी के तहत प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके लिए भी एक माह की समयावधि पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्तागण के पास थी जो कि उन्हें 14 वर्ष पश्चात उक्त पुनर्विचार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विचार प्रार्थना पत्र एवं एकतरफा मंसूखी का प्रार्थना पत्र दोनों भिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अनुतोष प्रदान करने हेतु बनाये गये है तथा दोनों ही अनुतोष भिन्न–2 है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा अलग–2 दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे। दो भिन्न कानूनी प्रावधानों एवं दो अनुतोषों के लिए पृथक–2 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना कानूनन मेन्डेटरी है जिस वजह से भी दो भिन्न अनुतोषों का एक ही कॉमन प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि पुनर्विचार प्रार्थना पत्र अपील के निर्णय के 14 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पुनर्विचार को खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा नामान्तरण अपील संख्या 19/1997 उनवानी प्रकरण बसन्ता बनाम छोटया वगैरह में निर्णय दिनांक 15.12.1999 में पारित किया गया है। अपील संख्या 47/1994 जो कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से स्थानान्तरित होकर न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में दर्ज रजिस्टर की गई जिसका नया नबर 19/1997 बने है। अतः प्रार्थीगण का यह भी कथन गलत है कि निर्णय दिनांक 15.12.1999 में अपील संख्या 19/1997 अंकित की है जबकि उक्त निर्णय में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार महवा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया है कि न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में जांच कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 15.12.1999 के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता था। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 15.12.1999 के विरूद्ध पुनर्विचार प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से दिनांक 26.02.2013 को 13 वर्ष से भी अधिक विलंब से पेश किया गया है। पुनर्विचार प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से पेश करने का कोई तर्कसंगत कारण भी नहीं बताया है। हम पुनर्विचार प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 15.12.1999 यथावत रखा जाता है। न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित जिला अभिलेखागार को लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.17 10:16:04 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17 जून 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा